

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन

COMMUNIST PARTY OF INDIA (MARXIST-LENINIST) LIBERATION

बिहार राज्य कमिटी

राज्य कार्यालय :

रामनरेश राम-चंद्रशेखर स्मृति भवन

जगतनारायण टीड, फडमकुंआ, पटना-800003

ईमेल : cpiml.blhar@gmail.com

फोन : 0612-2660174, 9852306901, 9835632813



Central Office : U-90, Shakarpur, Delhi-110092

Phone : 011-22521087

mail: mail@cpiml.org

Website: -http://www.cpiml.org

पत्रांक.....123/25.....

दिनांक.....21.08.2025.....

प्रति,

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड
नई दिल्ली - 110001

प्रतिलिपि

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
सरदार पटेल मार्ग, पटना, बिहार

विषय : एसआईआर के तहत मतदाता सूची से बाहर किए गए मतदाताओं पर हमारी पार्टी के बीएलए द्वारा दर्ज आपत्तियों को शून्य दिखाने के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु

महोदय,

सविनय निवेदन है कि दिनांक 21 अगस्त 2025 को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी बुलेटिन में यह उल्लेख किया गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत मतदाता सूची से बाहर किए गए बिहार के 65 लाख मतदाताओं के मामले में किसी भी राजनीतिक दल के बीएलए द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है. यह कथन तथ्यात्मक रूप से गलत है.

पहली बात तो यह कि निर्वाचन आयोग द्वारा आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया. इस कारण हमारी पार्टी अथवा हमारे बीएलए निर्धारित प्रोफार्मा में आपत्ति दर्ज नहीं कर सके. हालांकि, विभिन्न स्तरों पर आपत्तियाँ निरंतर की जाती रही हैं, लेकिन आयोग द्वारा यह कहकर उन्हें नजरअंदाज किया जाता रहा कि वे निर्धारित प्रोफार्मा में नहीं हैं.

अब जबकि दिनांक 20 अगस्त 2025 को हमारी पार्टी के अधिकृत बीएलए श्री विश्वकर्मा पासवान (194 - आरा विधानसभा, बूथ संख्या - 100) द्वारा श्री मिंटू पासवान (एपिक नंबर - RGX0701235) तथा श्री मुन्ना पासवान (एपिक नंबर - RGX2861375) के लिए शपथ पत्र सहित फॉर्म-6 स्थानीय बीएलओ को सौंपा गया, जिसकी रिसीविंग कॉपी हमारे पास उपलब्ध है. इसके बावजूद, 21 अगस्त 2025 को जारी बुलेटिन में हमारी पार्टी के निर्धारित कॉलम में शून्य ही दर्शाया गया है.

विदित हो कि ये मिंटू पासवान स्वयं सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए थे और फिर बिहार के चुनाव कार्यालय में भी उपस्थित हुए, जहाँ उन्हें आश्वासन दिया गया कि भोजपुर में उनकी आपत्ति दर्ज कर ली जाएगी. परंतु, अभी तक यह नहीं हो सका है.



यह गंभीर अनियमितता है और इसके कारण लगातार आपत्तियां दर्ज करने के बावजूद भी हमारी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों की गलत छवि प्रस्तुत हो रही है.

अतः आपसे आग्रह है कि

स्पष्ट करें कि निर्धारित फॉर्म एवं शपथ पत्र जमा करने के बावजूद बीएलए द्वारा की गई आपत्तियाँ -शून्य - क्यों दर्शाई जा रही हैं?

आपसे निवेदन है कि इस प्रकरण में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए आवश्यक स्पष्टीकरण एवं सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय

Chaudhary

श्याम चंद्र चौधरी
राज्य सचिव
सीपीआई (माले) लिबरेशन

